संख्या- 878/2023/2786/35-4-2023/35-4099/61/2021

प्रेषक,

जे० एल० यादव,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
सिद्धार्थनगर ।

नियोजन अनुभाग- 4 लखनऊ; दिनांक: 01 नवम्बर, 2023

विषय:- जनपद- सिद्धार्थनगर में वित्तीय वर्ष 2023-24 में त्वरित आर्थिक विकास योजना के अंतर्गत धनराशि की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या- 866/2023/2726/35-4-2023/35-4099/61/2021 दिनांक 25.10.2023 द्वारा सड़क निर्माण से संबंधित 02 कार्य यथा- 'शोहरतगढ़ से महला होते हुए इंडो-नेपाल बार्डर तक सम्पर्क मार्ग का चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण का कार्य' एवं 'सनई चौराहे से पकड़ी उदयपुर मार्ग का चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण का कार्य' हेतु अवशेष धनराशि रु0 139.22 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गई है |

उक्त शासनादेश दिनांक 25.10.2023 के प्रथम प्रस्तर में त्रुटिवश 'त्वरित आर्थिक विकास योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21 में जनपद गोण्डा में शासनादेश संख्या- 20/2021/173/35-4-2021, दिनांक 15.02.2021 (क्रमांक- 3 एवं 4) द्वारा सड़क निर्माण से संबंधित 02 कार्य...' अंकित हो गया है, जबकि उक्त शासनादेश जनपद- सिद्धार्थनगर से सम्बंधित है | अत: उक्त शासनादेश दिनांक 25.10.2023 के प्रथम प्रस्तर में 'जनपद- गोण्डा' के स्थान पर 'जनपद- सिद्धार्थनगर' पढ़ा व समझा जाए |

उपर्युक्त सन्दर्भित शासनादेश दिनांक 25.10.2023 इस सीमा तक संशोधित समझा जाएगा |

भवदीय,
जे० एल० यादव
संयुक्त सचिव ।

संख्या- 878/2023/2786(1)/35-4-2023/35-4099/61/2021 तददिनांक |

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

1- **यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।**

2- **इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट** http://shasanadesh.up.gov.in **से सत्यापित की जा सकती है ।**

http://shasanadesh.up.gov.in

2- महालेखाकार, लेखापरीक्षा, प्रथम एवं द्वितीय, प्रयागराज।
3- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, लोक निर्माण विभाग/ग्रामीण अभियंत्रण विभाग ।
4- अपर मुख्य सचिव, वित्त एवं वित्त आयुक्त उ0प्र0शासन।
5- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0 ।
6- निजी सचिव, मा. मुख्यमंत्री जी ।
7- मण्डलायुक्त, बस्ती मण्डल।
8- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, लखनऊ ।
9- मुख्य विकास अधिकारी, सिद्धार्थनगर ।
10-मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, सिद्धार्थनगर ।
11- संयुक्त निदेशक, स्टेट ट्रांसफार्मेशन कमीशन, नियोजन विभाग|
12-वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-5
13- जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, सिद्धार्थनगर ।
14- अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, सिद्धार्थनगर ।
15- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
जे० एल० यादव
संयुक्त सचिव ।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- **यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।**
2- **इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट** http://shasanadesh.up.gov.in **से सत्यापित की जा सकती है ।**